

09.05.25 प्रार्थी पक्ष अनुपस्थित। न्यायालय समय की समाप्ति तक
पृथक-पृथक समय से तीन बार प्रार्थी पक्ष को आवाजे
दिलवाई गई। बावजूद उपस्थित नहीं होने के कारण
प्रार्थी का आवेदन अदम पैरवी व अदम हाजिरी
में खारिज किया जाता है।

पत्रावली कैलल सुमार होकर दाखिल दफतर
हो।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा